टी०ए० मिस केस सं० 351/2018-19

अभ्युक्ति

दिनांक	आदेश
19/03/19	अभिलेख उपस्थापित।आवेदक श्री नारंगा देवगम, पिता– स्व० तुराम देवगम, ग्राम– तमकमहातु,थाना– मुफसिल जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– मतकमहातु, थाना नं०– 642,खाता नं०–05,प्लॉट नं०–1426,रकवा– 0.05 एकड़ भूमि क्रेता नुतन नूर महिमा तामसोय, पति– श्री संजय बोदरा, ग्राम–तमाडबाँध, थाना– मुफ्फसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर खतियान पर दर्ज है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।**

अंचल अधिकारी,सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–216, दिनांक– 16.1.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गृह निमार्ण हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **नुतन नूर महिमा तामसोय**,पति–श्री संजय बोदरा, ग्राम–तमाडबाँध,थाना–मुफसिल चाईबासा के पास 8,00,000.00/–(आठ लाख)रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.45 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता श्री नारंगा देवगम, पिता–स्व० तुराम देवगम, ग्राम– तमकमहातु,थाना– मुफ्फसिल, क्रेता नुतन नूर महिमा तामसोय, पति– श्री संजय बोदरा, ग्राम–तमाडबाँध थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास जमीन को कुल 8,00,000.00/–(आठ लाख)रूपये मे मौजा– मतकमहातु,थाना नं०– 642,खाता नं०–05,प्लॉट नं०–1426,रकवा– 0.05 एकड़ जमीन को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....स्वीकृत.... दी जाती है।

लेखापित।

19/3
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

19/3/19
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

Scanned with CamScanner